## भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 94/टीजी-1/20/पी/पार्ट आरएसी

नई दिल्ली, दिनांक 14.12.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें. महाप्रबंधक/पीआरएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.

(2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 71)

विषयः यात्रियों को आरएसी बर्थ आवंटित करना।

विभिन्न श्रेणियों के गैर-एलएचबी कोचों में आरएसी के रूप में चिह्नित बर्थों की संख्या में निम्नानुसार संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है:-

	मौर	नूदा	संशोधित				
श्रेणी	आरएसी	आरएसी	आरएसी	अतिरिक्त	आरएसी	आरएसी यात्रियों की	
	यात्रियों के	यात्रियों की	यात्रियों के	आरएसी	यात्रियों के		
	लिए चिह्नित	संख्या जिन्हें	लिए उपलब्ध	यात्रियों की	लिए चिह्नित	कुल संख्या	
	बर्थौ की	बैठने का	कराई गई	संख्या जिन्हें	कुल बर्थी की	जिन्हे <u>ं</u>	
	संख्या	स्थान	अतिरिक्त	बैठने का	संख्या	आरक्षित बर्थे	
		उपलब्ध	बर्थी की	स्थान		<b>उपलब्ध</b>	
		कराया गया	संख्या	उपलब्ध		कराई जानी	
		5		कराया जाना		考	
` 				#			
एसएल	५ साइड	10	2 एसएल	4	७ (एसएल)	14	
	लोअर	·	बर्थ				
	(एसएल)					-	
•	बर्थ						
3 एसी	2 साइड	4	2 एसएल	4	4(एसएल)	8	
	लोअर बर्थ		बर्थ	<u>.</u>			
2एसी	2 लोअर बर्थ	4	1 एसएल	2	3 (एसएल)	6	
	(केबिन में)		बर्थ				

2. क्षेत्रीय रेलें, गाड़ियों के प्रोफाइल में, इन बढ़ी हुई आरएसी बर्थों को चिह्नित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगी और एआरपी से अथवा नोबुकिंग तारीख जो भी पहले हो, से इसकी बुकिंग को सुनिश्वित करेंगी। बढ़ी हुई आरएसी बर्थों को चिह्नित करने की प्रक्रिया 15.01.2017 तक पूरी कर ली जानी चाहिए और 16.01.2017 से जिन गाड़ियों में बुकिंग आरंभ की जाएगी, उनमें ऊपर उल्लिखित बढ़ी हुई आरएसी बर्थे उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

्रिकेम सिंह) (विक्रम सिंह) निदेशक यात्री विपणन रेलवे बोर्ड

## प्रतिलिपि प्रेषितः

- सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस. सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2. एडीजी/पीआर, कार्यपालक निदेशक सतर्कता(टी), कार्यपालक निदेशक वित्त(सी), निदेशक वित्त (सी), विशेष कार्याधिकारी/टीसी, वित्त (सी), एवं सतर्कता (एसएस), शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
- 3. जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
- 4. महाप्रबंधक/ क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्यिक रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- 6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर लखनऊ - 2260011.
- 8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता 71.
- 14. प्रंबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लाट नं.6, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई- 400614.

\*\*\*\*\*

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

\*\*\*

No. 94/TG-I/20/P/Pt.RAC

New Delhi, dated 14.12.2016

The Chief Commercial Managers, All Zonal Railways.

General Manager/PRS, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.

## (COMMERCIAL CIRCULAR NO.71 OF 2016)

Sub: Allotment of RAC berths to passengers.

It has been decided to revise the number of berths to be earmarked as RAC in Non-LHB coaches of different classes as under:-

	Existing		Revised					
Class	No. of berths earmarked for RAC passengers	No. of RAC passengers provided sitting accommodation	-	No. of additional RAC passengers to be provided sitting accommodation	Total No. of berths to be earmarked for RAC passengers	Total Number of RAC passengers to be provided confirmed accommodation		
SL	5 Side	10	2 SL	4	7(SL)	14		
	Lower(SL)		berths	٠. ا				
. `	Berths							
3AC	2 Side	4	2 SL	4	4(SL)	8		
	Lower		berths					
	Berths							
2AC	2 Lower	4	1SL berth	2	3(SL)	6		
	Berths				i			
	(in cabin)							

2. Zonal Railways will take necessary action to define enhanced RAC berths in the profile of the trains and ensure its booking from ARP or no booking date whichever is earlier. The exercise of defining enhanced RAC accommodation should be completed latest by 15.01.2017 and from 16.01.2017, trains in which booking will be opened should have enhanced RAC accommodation as mentioned above.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

..2/-

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.

2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) branch of Railway Board.

3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001

4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway

Staff College, Vadodara.

Institutes, Central Principals. Railway Training 6. The Zonal Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Eastern Railway/Bhusawal, Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Chandausi, East Railway/Trichy, South Central Railway/Alipurduar, Southern Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.

7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi

Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.

8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.

9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.

10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.

11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.

12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.

13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.